

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नम्बर 2025/305

मुकदमा नम्बर 117/2025

दर्ज दिनांक-21.07.2025

लिख्मा कंवर उर्फ लक्ष्मी कंवर पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी मोहन वाडी तन बसावा तहसील नवलगढ़, जिला-झुझुनु

बनाम

- आवेदक

राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

वकील वादी :- प्रार्थी स्वयं

-अनावेदक

वकील प्रति. :- राज. पैरोकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 21.07.2025


प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहनवाडी तन बसावा तहसील नवलगढ़ की सरहद में नई खाता संख्या 312 पुराना 255 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड काशतकार संख्या 10 पर दर्ज लिख्मा कंवर पत्नी जगदीशसिंह के स्थान पर लक्ष्मी कंवर पत्नी जगदीशसिंह दुरुस्त करने बाबत।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक कि और से पैरोकार राज उपस्थित हो रिपोर्ट पेश की गई। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के मुतागिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 के अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। प्रार्थना पत्र वादीगण का प्रार्थना पत्र के समर्थन मं प्रस्तुत शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक को प्रार्थना पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मोहनवाडी तन बसावा तहसील नवलगढ़ की सरहद में नई खाता संख्या 312 पुराना 255 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड काशतकार संख्या 10 पर दर्ज लिख्मा कंवर पत्नी


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनु)

जगदीशसिंह के स्थान पर लक्ष्मी कंवर पत्नी जगदीशसिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ